[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 22/2017- केंद्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2017

सा.का.नि......(अ)- केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एततद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसचूना सं. 13/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 692(अ) दिनांक 28 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में परिषद की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में, क्रम सं. 1 के समक्ष, कॉलम (2) में, शब्द और कोष्ठक "माल वाहक अभिकरण (जीटीए)" के पश्चात शब्द और अक्षर ", जिसने 6 प्रतिशत की दर से केंद्रीय कर का भुगतान नहीं किया है,'' अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (घ) के पाश्चात, निम्नलिखित उपवाक्य को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा-

“(ड़) लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 (2009 का 6) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्मित और पंजीकृत “लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप” को एक पार्टनरशिप फर्म या फर्म माना जाएगा।”

[फा. सं. 354/173/2017- टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:-प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 13/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, सा.का.नि. 692 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था।